तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.64/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
08.8.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) शकेब खान पुत्र एस.के.खान, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म कामा राजपुताना (कामा होटलस् लिमिटेड), अधरदेवी रोड़, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 (दो) जहांगीर रुस्तम, खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी, फर्म कामा राजपुताना (कामा होटलस् लिमिटेड), अधरदेवी रोड़, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या– 3 (तीन) Dewani Pratabrai Arti, प्रोपराईटर, M/s Regenta M Foods, B/FOF/041/, Sumel Business Park-3, Opp. New Cloth Market, Sarangpur, Ahmedabad(Guj.) अनुपस्थित। Amit Kant Mishra (Nominee), Holy Land Marketing Pvt. Ltd., Godown No. 780/4139, Cadila Estate, Opp. Tulsi Hotel, Aslali-Jetalpur Highway, Aslali, Ahmedabad (guj.) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 09.9.2023 को फर्म कामा राजपुताना (कामा होटलस् लिमिटेड)) अधर देवी रोड़, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता शकेब खान पुत्र एस.के.खान से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-2201 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2494/Act/2023/2548 दिनांक 22.9.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये। जबकि प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 23.7.2024 को प्रतिवादी संख्या–4 (अमित कान्त मिश्रा) ने इस न्यायालय में प्रतिवादी फर्म Holy Land Marketing Pvt. Ltd की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादी संख्या–4 (अमित कान्त मिश्रा) ने प्रतिवादी संख्या–3 (तीन) की ओर से भी जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 08.8.2024 को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अतः प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है। हमनें पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के जवाब में अंकित तथ्यों व संबंधित दस्तावेजों तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक [illegible]2023 को दौराने गश्त समय .....लगातार	

न्यायालय प्रति. जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

प्रति. जिला कलेक्टर सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:00:09 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.64/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	12.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म कामा राजपुताना (कामा होटलस् लिमिटेड़), अधर देवी रोड़, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी शकेब खान पुत्र एस.के. खान, हाल निवासी– कामा होटल्स् लिमिटेड, अधर देवी रोड, माउन्ट आबू उपस्थित मिले, जो खाद्य पदार्थ Baked Beans in Souse (Brand Golden Crown) का उपयोग आम जन के लिये खाद्य सामग्री बनाकर बेचने के लिये करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा फर्म कामा राजपुताना (कामा होटल्स लिमिटेड), अधर देवी रोड़, माउन्ट आबू के निरीक्षण के दौरान आम जनता के खाद्य सामग्री बनाने में उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ Baked Beans in Souse (Brand Golden Crown) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री श्रवण सिंह, वाहन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता शकेब खान को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कामा राजपुताना (कामा होटल्स लिमिटेड) के अन्दर रसोई के स्टोर में रखे हुए खाद्य पदार्थ Baked Beans in Souse (Brand Golden Crown) के 20 पैक्ड टीन (प्रत्येक 450 ग्राम) में से Baked Beans in Souse (Brand Golden Crown) के 4 पैक्ड टीन (प्रत्येक 450 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 360/– (अक्षरे रुपये तीन सौ साठ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता शकेब खान को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2201, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Baked Beans in Souse (Brand Golden Crown) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता शकेब खान एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा Baked Beans in Souse (Brand Golden Crown) के चारों पैक्ड नमूना टीनों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-2201 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता शकेब खान, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने ......लगातार	

प्रति. जिला अभिभाषक
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:00:09 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.64/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने दिनांक 11.9.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबु लाल, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 11.9.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा फर्म कामा राजपुताना (कामा राजपुताना होटलस्), अधर देवी रोड़, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता शकेब खान पुत्र एस.के.खान से खाद्य पदार्थ Baked Beans in Souse (Brand Golden Crown) के 450–450 ग्राम के पैक्ड टीनों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूनें का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया गया है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Baked Beans in Souse (Brand Golden Crown) के नमूना संख्या S-2201 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2494/Act/2023/2548 दिनांक 22.9.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ Baked Beans in Souse (Brand Golden Crown) का नमूना संख्या S-2201 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट दिनांक 22.9.2023 के अनुसार Baked Beans in Souse (Brand Golden Crown) के पैकिंग लेबल पर Ouality Characteristics में Total Soluble solids की उपलब्धता 15 प्रतिशत घोषित की हुई है, जबकि जांच के परिणाम में 4.36 प्रतिशत उपलब्धता पाई गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि Baked Beans in Souse (Brand Golden Crown) की निर्माता/पैकर फर्म Holy Land Marketing Pvt. Ltd. है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेताओं, वितरकों, पैकरों व निर्माताओं के दायित्व दिये हुये है, जिसके अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) Baked Beans in Souse (Brand Golden Crown) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु मुख्यरुप से निर्माता/पैकर फर्म Holy Land Marketing Pvt. Ltd ही दोषी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह स्पष्ट है कि फर्म Holy Land Marketing Pvt. Ltd द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Baked Beans in Souse (Brand Golden

......लगातार

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट ★ सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:00:09 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.64/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	Crown) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को दोषमुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Baked Beans in Souse (Brand Golden Crown) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी फर्म Holy Land Marketing Pvt. Ltd., Godown No.-780/4139, Cadila Estate, Opp. Tulsi Hotel, Aslali-Jetalpur Highway, Aslali, Ahmedabad-382427(guj.), पंजीकृत कार्यालय, फर्म Holy Land Marketing Pvt. Ltd., D-154, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060 पर राशि रुपये 70,000/– (अक्षरे रुपये सत्तर हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी फर्म Holy Land Marketing Pvt. Ltd., Godown No.-780/4139, Cadila Estate, Opp. Tulsi Hotel, Asli Jetalpur Highway, Ahmedabad (guj.) के नॉमिनी अमित कान्त मिश्रा को आदेशित किया जाता है कि उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 12.9.2024 को पेश हो। **(डॉ. दिनेश राय सापेला)** अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:00:09 IST
Reason: SelfAttested